कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 2559 **/बिलासपुर/दिनांक** 01-12-17

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं,

नोडल अधिकारी, व.सं.अ.–1980,

रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

विषय :– FC Act-1980 अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन मे. कोरबा जिले के वनमण्डल अंतर्गत एस.ई.सी.एल. दीपिका एक्सपेशन खुल खदान कोयला उत्खनन हेतु 0.093 हे. राजस्व वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत पंजीयन बाबत् ।

पंजयीन क्रमांक/2013/028

संदर्भ :– आपका ज्ञा.क्रं./खनिज/514 दिनांक 04.04.2013 एवं

वनमण्डलाधिकारी कटघोरा का पत्र क्र./ तक.अधि./2020 , दिनांक 17.11.2017

––00––

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदनकर्ता मे. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. दीपका क्षेत्र, जिला कोरबा छ.ग. द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल में राजस्व वन खसरा क्र.288/1 की रकबा 0.093 हेक्ट. की मांग कोयला उत्खनन हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 35,000/– रूपये जमा कराये गये है।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 तक है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :–
   (i) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (कोयला उत्खनन) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नही है।
   (ii) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। पूर्व में गेवरा खुली खदान रकबा 112.385 हे. के लिए आवेदित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति रोपण योजना 226.000 हे. कक्ष क्र.P273/P274 में 0.186 हे. सम्मिलित है।

7. वैकल्पिक वृक्षारोपण चयनित बिगड़े वनभूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस बिगड़े वनभूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रूपये 6,00,222/– प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।

8. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

9. परियोजना का Cost Benefit Analysis आवश्यक नहीं है।

10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।

11. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

12. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

13. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 0.093 हे. वन भूमि की घनत्व 0.1 से 0.2 तक है। जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।

14. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्र. /तक.अधि./ 2560 बिलासपुर, दिनांक 01-12-17

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा (छ.ग.)
2. आवेदनकर्ता मे. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. दीपका क्षेत्र, जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

---

15. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

नहीं

16. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हॉ.

17. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुसंशित

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्तं बिलासपुर